

(197)

(73)

निग० ६२८४/१०१८/ शेरा/भृत्य

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०ग्र० राजस्व मण्डल सर्विं कोर्ट रोपा म०ग्र०।



1- उमेश कुमार मिशा तनय सुदामा खास श्रीमान् निवासी ग्राम घौरा तहसील हृष्णपुर जिला रोपा म०ग्र०

----- निगरानी कर्ता/रेस्पाडेन्ट ।

अधिकारी समारूप
संस्थापक द्वारा पेशा ।

उमेश कुमार मिशा

तनय सुदामा

खास श्रीमान्

निवासी ग्राम घौरा

तहसील हृष्णपुर

जिला रोपा म०ग्र०

बनाम

1- श्रीमान् तिवारी तनय स्व० रामावतार तिवारी

2- श्रीमान् तिवारी तनय स्व० रामावतार तिवारी

3- राजबहादुर तिवारी तनय स्व० रामावतार तिवारी

4- श्रीमती मनगिरिया मिशा पत्नी रामानन्द मिशा

----- सभी निवासी ग्राम सोनौरो तहसील हृष्णपुर जिला रोपा म०ग्र०।

5- शासन म०ग्र०

----- गैर निगरानी कर्ता गण /अपीलगण ।

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 26-04-18

अपील प्र०ग्र० 12/अ०६६/अपील/2017-18 श्रीनिवास

तिवारी वगै० बनाम उमेश कुमार मिशा न्यायालय

श्रीमान् अपर कैट्टर जिला रोपा म०ग्र० ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०ग्र०धूरा प्रति
1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं :-

1- यहांकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारित आदेश दिन 26-04-18 विधि स्वं विधान के विवरोत होने के कारण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है काबित - निरस्तगी के है ।।

2- यहांकि निगरानी कर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान् अनुचिभागीय अधिकारो तहसील हृष्णपुर जिला रोपा म०ग्र० के न्या यात्य में आराजी नं० 37/1 रक्षा - 0-380 है० का अंश रक्षा 0-040 है० स्व० आ ०नं० 37/2 रक्षा 0-385 है० का अंश रक्षा 0-020 है० अर्थात् 0-15 ए० भूमि स्थित ग्राम घौरा तहसील हृष्णपुर जिला रोपा म०ग्र० का भूमिस्थानी धोंषित किए जाने हेतु म०ग्र० वास स्थान -

उमेश क्रमाण्डल मझा क्र० -----

Mr. Rajeshwar Singh
21/5/2018

73

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक २४५१-२०१८ जिला-रीवा

उमेश कुमार मिश्र विरुद्ध श्री गवाल तिकटी

(1)	(2)	(3)
15.1.19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री एम्. ए. लिलोडीली अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर / अपर कलेक्टर, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक १२/२७६६/३८५०८/१७/१८ में पारित आदेश दिनांक २६.५-२०१८ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक १४.३.१९ को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	